न्यायालय अपर सैशन महानगर मजिस्टेट, क्रम–3, जयपुर महानगर, प्रथम

पीठासीन अधिकारी – राम किशन शर्मा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
पुनरीक्षण संख्या – 18/2025
सी.आई.एस. नम्बर – 116/2025
सी. एन. आर. नम्बर – RJJM010058822025

1. लक्ष्मीकांत पारीक पुत्र स्व0 श्री घनश्याम पारीक, आयु 56 वर्ष, निवासी सौरव नगर, हरनाथपुरा, निवारू रोड़, झोटवाड़ा जयपुर

–निगरानीकर्ता / अभियुक्त

बनाम

1. ललित सिंह चौहान पुत्र श्री प्रताप सिंह चौहान निवासी ई–130, मालवीय नगर, जयपुर

2. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक

–गैरनिगरानीकर्तागण/अप्रार्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 438 बीएनएसएस 2023 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.01.2025 न्यायालय विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम–3, जयपुर महानगर प्रथम, प्रकरण संख्या 426/2017 बउनवानी ललित सिंह बनाम लक्ष्मीकान्त पारीक

उपस्थिति

1. श्री राहुल वर्मा विद्वान अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता की ओर से।

2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजन श्री प्रंशात कुमार कुमावत अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक – 06.08.2025

01. पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय, विशिष्ट महानगर मजिस्टेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम–3, जयपुर महानगर प्रथम, द्वारा बउनवानी ललित सिंह बनाम लक्ष्मीकान्त पारीक, प्रकरण संख्या 426/2017 में पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्व पारित आलौच्य आदेश दिनांक 24.01.2025 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर, प्रथम के समक्ष दिनांक 27.02.2025 को पेश की गई, जो विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारणार्थ इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त होने पर दिनांक 28.02.2025 को दर्ज रजिस्टर की गई।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैर पुनरीक्षकर्ता/अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पुनरीक्षणकर्ता लक्ष्मीकांन्त पारीक के विरुद्ध परिवाद अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत न्यायालय, विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट, (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम–3, जयपुर महानगर प्रथम, (इसके पश्चात विचारण न्यायालय से सम्बोधित किया

जायेगा) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03. दौराने विचारण गैरपुनरीक्षणकर्ता / अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 द.प्र.सं का प्रस्तुत कर दस्तावेजों पर प्रदर्श डाले जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया है जिसका पुनरीक्षणकर्ता / प्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा गैरपुनरीक्षणकर्ता / अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर बहस सुनी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.01.2025 पारित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 24.01.2025 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

05. बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

06. बहस के दौरान पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाते हुए याचिका स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

07. गैर पुनरीक्षणकर्ता संख्या 2 द्वारा बहस के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिनुसार उचित होना कथन करते हुए पुनरीक्षण याचिका अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

08. पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है किः– **आया विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 अवैध, अशुद्ध, अथवा औचित्यहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है अथवा नहीं ?**

09. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया तथा उनकी रोशनी में पत्रावली पर उपलब्ध मैटेरियल एवं विधिक स्थिति का भी ध्यान पूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, जिससे यह प्रकट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (धारा 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की उपधारा 1 में यह प्रावधान किया हुआ है कि उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को, किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है। उपधारा 2 में यह भी प्रावधान किया गया है कि पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसी अपील, जांच, विचाराधीन या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वती आदेश के बाबत नहीं किया जाएगा।

10. इस प्रकार उक्त विधिक प्रावधान की रोशनी में किसी अंतर्वती आदेश के विरुद्ध निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होना बताई गई है, इसलिए प्रकरण में सबसे पहले आलौच्य आदेश की प्रकृति पर विचार किया जा रहा है।

11. प्रकरण में आलौच्य आदेश प्रकरण में दस्तावेजों पर प्रदर्श डाले जाने से रह जाने से परिवादी को साक्ष्य हेतु पुनः बुलाने की अनुमति प्रदान करने हेतु परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.05.2024 पर पारित किया गया है। हालांकि दरख्वास्त में यह अंकित नहीं है कि उसे किस प्रावधान के तहत प्रस्तुत किया गया है, लेकिन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी गवाह को पुनः साक्ष्य हेतु बुलाने (Re-call) का निवेदन किया जाता है तो ऐसा आवेदन पत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा। इस संबंध में

विधिक स्थिति को देखें तो माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत SETHURAMAN V/s RAJAMANICKAN 2009 AIR SCW 2066 में इस बाबत यह अवधारणा की गई है किः–

> 1. Therefore, Both the orders, i.e., One on the application u/s 91 Cr.P.C for production of documents and other on the application u/s 311 Cr.P.C for recalling the witness, were the orders of interlocutory nature, in which case, under section 397(2), revision was clearly not maintainable.

12. इस प्रकार पूर्वोक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में भी आलौच्य आदेश अन्तवर्ती आदेश की श्रेणी का रहा होना प्रकट होता है। जिसके विरूद्ध निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होना पायी जाती है। ऐसे में हस्तगत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

आदेश

12. अतः प्रार्थी/निगरानीकार लक्ष्मीकांत पारीक पुत्र स्व0 श्री घनश्याम पारीक, आयु 56 वर्ष, निवासी सौरव नगर, हरनाथपुरा, निवारू रोड़, झोटवाड़ा जयपुर की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका विरूद्ध ललित सिंह व अन्य पोषणीय नहीं होने से एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख विचारण न्यायालय को लौटाया जावे।

(राम किशन शर्मा)
अपर सैशन महानगर मजिस्टेट, क्रम–3,
जयपुर महानगर, प्रथम

13. आदेश आज दिनांक 06.08.2025 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राम किशन शर्मा)
अपर सैशन महानगर मजिस्टेट, क्रम–3,
जयपुर महानगर, प्रथम